



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-31.07.2024

विषय:- “आपरेेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना चौबेपुर मे दहेज हत्या के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त/अभियुक्तागण को आजीवन कारावास व 15000-15000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना चौबेपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-312/2016 धारा 498-ए, 304-बी, 307, 326-ए, 506 भा0द0वि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त/अभियुक्तागण 01- आशीष सिंह पुत्र अशोक कु0 सिंह, 02- अशोक सिंह पुत्र स्व0 बजरंगी सिंह व 03- मंगला देवी पत्नी अशोक कु0 सिंह समस्त निवासीगण- बराई थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक चौबेपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 30.07.2024 को माननीय न्यायालय ADJ-07 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त/अभियुक्तागण उपरोक्त को अंतर्गत धारा 304-बी भा0द0वि0 मे आजीवन कारावास, धारा 498-ए भा0द0वि0 मे 02 वर्ष कारावास व 5000/- रु0 के अर्थदण्ड से, धारा 506 भा0द0वि0 मे प्रत्येक को 02 वर्ष कारावास व 5000/- रु0 के अर्थदण्ड से तथा धारा 4 डी0पी0 एक्ट मे प्रत्येक को 01 वर्ष कारावास व 5000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।